राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1394/2007/जयपुर.

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, उड़नदस्ता, भरतपुर. .....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स शिवा असफालटिंक प्रोडक्ट्स प्रा0 लि0,
पी–8, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर. .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
श्री मनोहर पुरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री रामकरण सिंह,
उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री एस. एन. असावा, अधिकृत प्रतिनिधि .....प्रत्यर्थी की ओर से.

दिनांक : 25/01/2016

निर्णय

1. यह अपील राजस्व द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर द्वितीय, जयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा गया है) के अपील संख्या 1536/अपील्स–।।/आर.एस.टी./जयपुर/बी/2000–01 में पारित किये गये आदेश दिनांक 29.01.2007 के विरूद्ध राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे **'अधिनियम'** कहा गया है) की धारा 85 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, उड़नदस्ता, भरतपुर (जिसे आगे **'सक्षम अधिकारी'** कहा जायेगा) के अधिनियम की धारा 78(5) के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 22.02.2001 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सक्षम अधिकारी द्वारा दिनांक 19.02.2001 को वाहन संख्या यू.पी.85/ए–9299 को मथुरा (यू.पी.) से जयपुर आते समय रारह जिला भरतपुर में चैक किया गया। वाहन में **'ज्वॉइन्ट फिलर बोर्ड्स'** का परिवहन स्टॉक ट्रांसफर के तहत किया जा रहा था। सक्षम अधिकारी द्वारा परिवहनित किये जा रहे माल से सम्बन्धित दस्तावेज मांगे जाने पर वाहन चालक/माल प्रभारी द्वारा माल से सम्बन्धित बिल्टी संख्या 337 दिनांक 19.02.2001 एवं मैसर्स शिवा असफालटिक प्रोडक्ट्स प्रा0 लि0, मथुरा का प्रोफॉर्मा इन्वॉयस संख्या 2644 दिनांक 19.02.2001 पेश किये गये। परिवहनित माल से सम्बन्धित घोषणा–पत्र एस.टी.18ए प्रस्तुत नहीं किये जाने पर सक्षम अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी को जरिये वाहन चालक अधिनियम की धारा 78(2)(ए) के उल्लंघन हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।

लगातार.....2

जिसके जवाब में प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत जवाब को अस्वीकार करते हुए सक्षम अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 78(5) के अन्तर्गत आदेश दिनांक 22.02.2001 पारित करते हुए शास्ति रूपये 55,200/– का आरोपण किया गया। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी अपील अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.01.2007 से स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलार्थी राजस्व द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

3. बहस के दौरान अपीलार्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने सक्षम अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि वक्त चैकिंग वांछित दस्तावेज घोषणा–पत्र एस.टी.18ए परिवहनित माल के साथ संलग्न नहीं था। अतः सक्षम अधिकारी द्वारा शास्ति का आरोपण विधि अनुसार किया गय था। अपीलीय अधिकारी द्वारा अनुचित आधार पर शास्ति को अपास्त किया है कि दिनांक 22.03.2002 से पूर्व माल मालिक पर शास्ति का आरोपण नहीं किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त **22 टैक्स अपडेट पार्ट–5 पेज–159 सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम मैसर्स बजाज इलेक्ट्रिकल्स** के प्रकरण में स्पष्ट रूप से यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि दिनांक 22.3.2002 से पूर्व माल मालिक पर भी अधिनियम की धारा 78(5) के तहत शास्ति का आरोपण किया जा सकता है। इसी प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त **(2007) 18 टैक्स अपडेट 321 मैसर्स गुलजग इण्डस्ट्रीज बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी** के निर्णय में प्रतिपादित किया गया है कि वांछित दस्तावेज के अभाव में अथवा दस्तावेज अपूर्ण होने की स्थिति में अधिनियम की धारा 78(5) के तहत शास्ति का आरोपण उचित है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने राजस्व की अपील स्वीकार किये जाने पर बल दिया।

4. प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि ने अपीलीय आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि वक्त जांच माल से सम्बन्धित बिल व बिल्टी प्रस्तुत कर दिये गये थे। माल का परिवहन स्टॉक ट्रांसफर के तहत किया जा रहा था, जिसमें करापवंचन की कोई मंशा नहीं थी। दिनांक 22.03.2002 को अधिनियम की धारा 78(5) में हुए संशोधन की प्रभावी तिथि से पूर्व माल के स्वामी पर धारा 78(5) के तहत शास्ति आरोपणीय नहीं होने के कारण सक्षम अधिकारी द्वारा पारित आदेश प्रथम दृष्टया विधि विरूद्ध है। अतः अपीलीय अधिकारी द्वारा शास्ति आदेश अपास्त किये जाने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान अधिकृत प्रतिनिधि ने राजस्व की अपील अस्वीकार किये जाने पर बल दिया।

लगातार.....3

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. हस्तगत प्रकरण में यह निर्विवादित है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अधिसूचित माल का परिवहन बिना घोषणा–पत्र एस.टी.18ए के किया जा रहा था। इस बाबत कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने पर भी प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा वांछित घोषणा–पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। अपीलीय अधिकारी द्वारा शास्ति आदेश इस आधार पर अपास्त किया गया है कि दिनांक 22.03.2002 से पूर्व अधिनियम की धारा 78(5) के तहत शास्ति का आरोपण माल मालिक पर नहीं किया जा सकता। इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त **22 टैक्स अपडेट पार्ट–5 पेज–159 सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम मैसर्स बजाज इलेक्ट्रिकल्स** के प्रकरण में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि दिनांक 22.03.2002 से पूर्व माल मालिक पर भी अधिनियम की धारा 78(5) के तहत शास्ति का आरोपण किया जा सकता है। इसी प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त **(2007) 18 टैक्स अपडेट वोल्यूम 321 मैसर्स गुलजग इण्डस्ट्रीज बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी** के निर्णय में स्पष्ट व्यवस्था दी गयी है कि वांछित दस्तावेज के अभाव में अथवा अपूर्ण होने की स्थिति में अधिनियम की धारा 78(5) के तहत शास्ति का आरोपण पूर्णतया उचित है, जिसमें करापवंचन की मंशा प्रमाणित किया जाना बाध्यकारी नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलीय अधिकारी द्वारा दिनांक 22.03.2002 से पूर्व माल मालिक पर अधिनियम की धारा 78(5) के तहत शास्ति आरोपित करने के आधार पर सक्षम अधिकारी के आदेश दिनांक 22.02.2001 को अपास्त करने सम्बन्धी अपीलीय आदेश दिनांक 29.01.2007 विधिसम्मत नहीं होने से निरस्तनीय है।

7. परिणामस्वरूप राजस्व की अपील स्वीकार करते हुए अपीलीय अधिकारी का अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.01.2007 अपास्त किया जाता है तथा सक्षम अधिकारी के आदेश दिनांक 22.02.2001 को यथावत बहाल (Restore) किया जाता है।

8. निर्णय सुनाया गया।

25.01.2016

(मनोहर पुरी)
सदस्य